

भारत: विश्व की फार्मेसी



भारत के फार्मास्युटिकल (दवा) उद्योग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके चलते देश ने इस स्वास्थ्य संकट के दौरान एक “विश्वसनीय राष्ट्र” के रूप में अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत की थी। यह उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसे आमतौर पर “सनराइज इंडस्ट्री” के नाम से जाना जाता है। मौजूदा समय में यह क्षेत्र अत्यधिक नवाचार और रोजगार सृजन के साथ तीव्र संवृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। इन सबके बावजूद भी इस क्षेत्र के समक्ष गुणवत्ता नियंत्रण, विनियामकीय अनुपालन की कमी और अपर्याप्त अवसररचना जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं। जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की बढ़ती आवश्यकता भारत के लिए वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने हेतु नए अवसर पैदा कर रही है। साथ ही, यह वैश्विक मंच पर फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने में सहायक भी सिद्ध हो रही है।

विषय-सूची

1. भारत का फार्मास्युटिकल इकोसिस्टम कैसे कार्य करता है? 2
2. भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग इस समय कैसा प्रदर्शन कर रहा है? 3
3. भारत को विश्व की फार्मेसी बनने के लिए प्रेरित करने वाले मुख्य कारक कौन-से हैं? 4
- 3.1 भारत को विश्व की फार्मेसी के रूप में स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने कौन-कौन सी मुख्य पहलें शुरू की हैं? 5
4. भारत के फार्मा क्षेत्र की संवृद्धि और वैश्विक स्तर पर इसकी प्रमुखता को स्थापित करने के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां हैं? 8
5. भारत को विश्व की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन-सी रणनीतियां और कार्रवाइयां करनी चाहिए? 9
6. निष्कर्ष 9
7. टॉपिक: एक नज़र में 10
8. बॉक्स, टेबल और चित्र 11



दिल्ली



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर


1. भारत का फार्मास्युटिकल इकोसिस्टम कैसे कार्य करता है?

भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग अलग-अलग दवाओं और औषधियों के अनुसंधान, विकास, निर्माण एवं वितरण के प्रति समर्पित है।

- इसके प्रमुख खंडों में जेनेरिक दवाएं, ओवर दी काउंटर (OTC) दवाएं, बल्क ड्रग्स, टीके, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर शामिल हैं।
- यह क्षेत्रक आयुर्वेद जैसी 5,000 वर्ष पुरानी पद्धति से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आकार लेने वाले आधुनिक फार्मास्युटिकल उद्योग तक विकसित हुआ है।
- **बायोलॉजिक्स:** जीवित जीवों से बनी दवाएं।
- **बायोसिमिलर:** जैविक दवाएं जो मौजूदा अनुमोदित बायोलॉजिक्स के समान हैं।

चित्र 1.1. भारत में फार्मास्युटिकल इकोसिस्टम

चित्र 1.1. भारत में फार्मास्युटिकल इकोसिस्टम



बॉक्स 1.1. स्वतंत्रता के बाद भारत के फार्मा उद्योग का विकास

<p>1947-1970: (प्रक्रिया पेटेंट की व्यवस्था से पहले)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारत इस दौर में देश में खपत होने वाली ज्यादातर दवाओं के लिए आयात पर निर्भर था। ➤ इसलिए, भारत सरकार ने दवा उद्योग को विनियमित करना और स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देना शुरू किया। ➤ भारत की पहली केंद्रीय फार्मसी परिषद का गठन 1948 में किया गया था। इसे फार्मास्युटिकल क्षेत्रक की शैक्षणिक आवश्यकताओं को विनियमित करने के उद्देश्य से गठित किया गया था।
<p>1970-2005: (प्रक्रिया पेटेंट की व्यवस्था के कार्यान्वयन के बाद)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ इस समय भारत के फार्मा उद्योग ने रिवर्स-इंजीनियरिंग और प्रोसेस इनोवेशन के आधार पर कार्य किया। इसके अलावा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और जेनेरिक दवाओं को विकसित करने की क्षमता हासिल की। साथ ही, अपने निर्यात संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान भी केंद्रित किया। ➤ पेटेंट अधिनियम, 1970 ने भारतीय दवा कंपनियों को उन दवाओं के निर्माण के लिए वैकल्पिक प्रक्रियाएं बनाने की अनुमति दी, जिनका भारत में पेटेंट नहीं था। ➤ औषधि नीति, 1978 का मुख्य उद्देश्य दवा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था।
<p>2005-2020: (उत्पाद पेटेंट के कार्यान्वयन के बाद)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ इस अवधि में भारत ने ट्रिप्स/ TRIPS पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) के समझौते का पालन करने के लिए पेटेंट अधिनियम में संशोधन किया। साथ ही, फार्मा उत्पाद पेटेंट और पेटेंट संरक्षण की भी शुरुआत की। ➤ TRIPS: बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू। ➤ कुछ शुरुआती चुनौतियों के बाद भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियां वैश्विक फर्मों के साथ गठबंधन के जरिए, वैश्विक फार्मास्युटिकल मूल्य श्रृंखला (GVC) में शामिल हो गईं। यह गठबंधन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और तकनीकी उन्नयन के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। ➤ इसके अतिरिक्त, शोध और अनुसंधान (R&D) के माध्यम से उत्पाद नवाचार, नवीन दवा वितरण प्रणाली (NDDS), नई दवा विकास अनुसंधान (NDDR), तथा बायो-फार्मास्युटिकल अनुसंधान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

2. भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग इस समय कैसा प्रदर्शन कर रहा है?

चित्र 2.1. भारत के फार्मा उद्योग की स्थिति

फार्मास्युटिकल क्षेत्रक: एक अवलोकन



भारत DPT और BCG टीकों के लिए WHO की मांग की 65% से अधिक पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त, WHO को की जाने वाली खसरे के टीकों की आपूर्ति में भारत 90% का योगदान देता है।



अप्रैल 2000 से मार्च 2023 के बीच इस क्षेत्रक को 21.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ था।



यह क्षेत्रक भारत की GDP में 1.72% का योगदान देता है।



भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। मात्रा के हिसाब से वैश्विक जेनेरिक दवा आपूर्ति में इसकी 20% हिस्सेदारी है।



फार्मा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 25.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।




भारत वैश्विक स्तर पर एड्स के उपचार में उपयोग की जाने वाली एंटीरेट्रोवायरल दवाओं की 80% से अधिक की आपूर्ति करता है।

क्षेत्रक रैंकिंग: भारत की रैंक



प्रथम स्थान

वैश्विक स्तर पर कम लागत वाली जेनेरिक दवा की आपूर्ति में भारत की 20% हिस्सेदारी है। टीकों की वैश्विक आपूर्ति में इसका 60% का योगदान है। साथ ही, यह विश्व में वहनीय HIV दवाओं की 80% आपूर्ति करता है।



दूसरा स्थान

संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत वह दूसरा देश है, जहां यू.एस. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US-FDA) अनुमोदित फार्मास्युटिकल संयंत्र हैं।



तीसरा

सक्रिय औषध सामग्री (API) का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक।



तीसरा


भारत के पास मात्रा की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल क्षेत्रक है।




14वां

भारत के पास मूल्य की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल क्षेत्रक है।

भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख फार्मा उत्पाद



भारत के फार्मा उत्पादों के मुख्य निर्यात गंतव्य



3. भारत को विश्व की फार्मसी बनने के लिए प्रेरित करने वाले मुख्य कारक कौन-से हैं?

भारत का "विश्व की फार्मसी" में रूपान्तरण कई महत्वपूर्ण कारकों का परिणाम है। इन सभी कारकों ने भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रमुखता तक पहुंचाया है। इन कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

▶ वहुनीय स्वास्थ्य देखभाल में योगदान देने वाले उद्योग की बुनियाद और मजबूती:

- ▶ **मजबूत जेनेरिक दवा उद्योग:** भारत का मजबूत जेनेरिक दवा उद्योग आवश्यक दवाओं तक वैश्विक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - » उदाहरण के लिए- पेरासिटामोल 500 mg (10 टैबलेट्स) के जेनेरिक संस्करण की कीमत भारत में 6 रुपये है, जबकि इसके ब्रांडेड संस्करण की कीमत 28-72 रुपये के बीच है।
- ▶ **उत्पादन लागत दक्षता:** भारत की उत्पादन लागत संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन लागत की तुलना में लगभग 33% कम है। साथ ही, श्रम लागत पश्चिमी देशों की तुलना में 50-55% तक कम है।
- ▶ **वैक्सीन का अग्रणी आपूर्तिकर्ता देश:** विश्व स्तर पर किफायती वैक्सीन की आपूर्ति में भारत एक प्रमुख योगदानकर्ता है। यहां **रिक्तोमिनेंट हेपेटाइटिस B वैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन** का भी उत्पादन किया जाता है।
- ▶ **प्रचुर माला में प्रतिभा की उपस्थिति:** चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर फार्मा और बायोटेक पेशेवरों का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता देश है।
- ▶ **विनियामक अनुपालन:** केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) जैसे विनियामक निकाय अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
- ▶ **निर्यात प्रभुत्व:** अमेरिका के बाद भारत में सर्वाधिक US-FDA का अनुपालन करने वाले फार्मास्यूटिकल संयंत्र है। भारत 200 से अधिक देशों (विकसित और विकासशील दोनों) को फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात करता है। इस प्रकार वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला में भारत महत्वपूर्ण योगदान देता है।

▶ बौद्धिक संपदा और नवाचार:

- ▶ **2005 से पहले के उत्पाद पेटेंट:** 2005 से पहले भारत दवाओं पर उत्पाद पेटेंट नहीं देता था। भारत की इस व्यवस्था ने रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से पेटेंट दवाओं के किफायती जेनेरिक संस्करणों के उत्पादन में योगदान दिया।
 - » उल्लेखनीय है कि अमेरिका में HIV दवाओं (ज़िडोवुडिन) और जीवन रक्षक कैंसर दवा (इमैटिनिब) के लॉन्च होने के साथ ही भारत सरकार ने भी इन दवाओं के लागत प्रभावी संस्करण का उत्पादन देश में शुरू कर दिया था।
- ▶ **अनुसंधान और विकास(R&D):** फार्मास्यूटिकल R&D में भारत का महत्वपूर्ण निवेश नई दवा खोज, बायोसिमिलर और जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है।
 - » इस दृष्टिकोण ने महामारी के दौरान **कोवैक्सिन और कोविशील्ड** जैसे कोविड-19 टीकों के निर्माण में सहायता प्रदान की थी।

▶ अवसंरचना, सरकारी सहायता और अन्य विकास कारक:

- ▶ **अवसंरचना और विनिर्माण सुविधाएं:** भारत ने विश्व स्तरीय विनिर्माण और निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल हब, क्लस्टर और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की स्थापना की है।
- ▶ **सरकारी सहायता:** भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके अलावा, सब्सिडी और अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश भी उपलब्ध करवाती है।
- ▶ **तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार:** भारत के विस्तारित होते स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और व्यापक घरेलू बाजार के कारण घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फार्मास्यूटिकल्स व चिकित्सा उपकरणों की मांग बढ़ रही है।
 - » भारत की बेहतर छवि चिकित्सा पर्यटकों को देश की ओर आकर्षित करती है और दुनिया भर में देश की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देती है।

- ▶ **वैश्विक सहयोग:** भारत तथा वैश्विक दवा कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग 'ज्ञान, विशेषज्ञता एवं अनुसंधान के निष्कर्षों के आदान-प्रदान' की सुविधा प्रदान करता है।
 - » उदाहरण के लिए- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने कोविड-19 के लिए लाइव-एटेन्यूएटेड वैक्सीन (LAV) का उत्पादन करने हेतु अमेरिका स्थित कोडाजेनिक्स इंक के साथ साझेदारी की थी।
- ▶ **संकट की स्थिति (कोविड) के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया:** फार्मा उद्योग ने कई अग्रणी नवाचारों को साकार किया है। साथ ही, विश्व के प्रत्येक हिस्से में समय को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण दवाओं को वितरित करने की अपनी वैश्विक क्षमता में तेजी से सुधार किया है।
 - » **वैक्सीन मैत्री पहल और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी** के तहत, भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाओं एवं टीकों की आपूर्ति की है। **उदाहरण के लिए-** संयुक्त राज्य अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HSQ) की आपूर्ति।

चित्र 3.1: भारत में फार्मास्यूटिकल्स क्लस्टर



बॉक्स 3.1. भविष्य में फार्मास्युटिकल क्षेत्रक के विकास के मुख्य प्रेरक

भारत का फार्मा क्षेत्रक अपनी अगली क्रांति के शिखर पर है। इसका भविष्य कई महत्वपूर्ण प्रेरकों और रुझानों पर आधारित है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ▶ **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** नवीन और ऑटोमेटेड एल्गोरिदम दवा उद्योग को जटिल रोगों का उपचार करने, दवा अनुपालन की निगरानी करने तथा जटिल डेटा को समझने में मदद करेंगे।
- ▶ **पेटेंट प्राप्त लघु-अणु वाली दवाएं:** भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग 2023 से 2026 तक संभावित अपसाइकल (पेटेंट क्लिफ) के साथ पेटेंट प्राप्त लघु-अणु वाली दवाओं के सेगमेंट में एक अवसर की तलाश कर रहा है।
 - ▶ **पेटेंट क्लिफ का तात्पर्य राजस्व या लाभप्रदता में तीव्र गिरावट से है।** ऐसा तब होता है, जब किसी फर्म के पेटेंट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके उत्पाद प्रतिस्पर्धा के लिए मुक्त हो जाते हैं।
- ▶ **दुर्लभ और उपेक्षित रोग:** दुर्लभ एवं उपेक्षित रोगों के इलाज के लिए औषधि या दवाओं पर शोध में बढ़ोतरी देखी जाएगी।
- ▶ **डिजिटल चिकित्सा विज्ञान की मांग:** इसमें ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स के जरिए बेहतरीन चिकित्सकीय सेवाओं की पेशकश करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले साधनों का इस्तेमाल शामिल है। इसके कारण दवाओं का निर्माण करने वाली फार्मास्युटिकल कंपनियां, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा प्रदाता बनने में भी सक्षम हो पाएंगी।

3.1 भारत को विश्व की फार्मसी के रूप में स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने कौन-कौन सी मुख्य पहलें शुरू की हैं?

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्रक की संवृद्धि और वैश्विक स्तर इसके प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें आरंभ की हैं। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

टेबल 3.1. फार्मा उद्योग के विकास में सहायता के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

फार्मा उत्पादों का विनियमन	<ul style="list-style-type: none"> ▶ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत भारत में दवाओं के आयात, विनिर्माण, वितरण एवं बिक्री को विनियमित किया जाता है। ▶ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) स्थापित किया गया है। यह भारत में नई दवाओं व नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी प्रदान करता है तथा फार्मास्युटिकल्स को विनियमित करता है। ▶ भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) का पद सृजित किया गया है। यह भारत में दवाओं और फार्मास्युटिकल्स के आयात एवं विनिर्माण को मंजूरी प्रदान करता है। ▶ राज्यों में राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरणों का गठन किया गया है। इनका कार्य लाइसेंस प्रदान करना, निरीक्षण करना और फार्मास्युटिकल्स से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
फार्मास्युटिकल संबंधी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना	<ul style="list-style-type: none"> ▶ फार्मा विज्ञान 2020: इसे भारत को औषधि विनिर्माण के मामले में नई दवाओं की खोज और नवाचार हेतु अग्रणी बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ▶ फार्मा-मेडटेक (MedTech) क्षेत्रक में अनुसंधान, विकास एवं नवाचार पर राष्ट्रीय नीति 2023 की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, फार्मा-मेडटेक क्षेत्रक में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना (PRIP) भी आरंभ की गई है।
गुणवत्ता और मानक	<ul style="list-style-type: none"> ▶ राष्ट्रीय उत्तम प्रयोगशाला पद्धति अनुपालन निगरानी प्राधिकरण (NGCMA): यह प्राधिकरण फार्मास्युटिकल अनुसंधान में संलग्न अलग-अलग प्रयोगशालाओं में GLP मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ▶ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज (GLP) के OECD सिद्धांत: ये सिद्धांत औद्योगिक रासायनिक पदार्थों और तैयारियों की सुरक्षा से संबंधित उच्च गुणवत्ता युक्त एवं विश्वसनीय परीक्षण डेटा का सृजन सुनिश्चित करते हैं। ▶ भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC): यह भारत में उपयोग किए जाने वाले फार्मास्युटिकल पदार्थों और डोसेज के स्वरूपों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के लिए फार्माकोपियल मानकों में संगतता सुनिश्चित करता है। यह आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) के अधीन कार्य करता है। ▶ आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (AOGUSY): यह आयुष मंत्रालय की एक योजना है। इसका उद्देश्य आयुष दवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। ▶ औषध विभाग 'उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी' (CAPPN) जैसी विविध केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाएं संचालित कर रहा है। इनका उद्देश्य फार्मास्युटिकल क्षेत्रक में गुणवत्ता, शिक्षा और विकास सुनिश्चित करना है।

<p>किफायती दवाएं</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति 2012: इसका उद्देश्य दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक विनियामकीय फ्रेमवर्क तैयार करना है। ➤ राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA): यह प्राधिकरण आवश्यक दवाओं की कीमतों को विनियमित करता है, उनकी निर्गारनी करता है और उन्हें नियंत्रित करता है। ➤ प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP): यह परियोजना किफायती मूल्य पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
<p>फार्मास्युटिकल उद्योग का विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाने (SPI) की योजना: इसका उद्देश्य उत्पादकता, गुणवत्ता और संधारणीयता में सुधार के लिए फार्मास्युटिकल क्लस्टर तथा विनिर्माण सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ➤ मुख्य आरंभिक सामग्रियों (KSMs), मध्यवर्तियों और सक्रिय औषधि सामग्रियों (APIs) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं शुरू की गई हैं। ➤ बल्क ड्रग पार्कों के संवर्धन के लिए योजना: इसका उद्देश्य साझा अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना को तीन राज्यों- हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। ➤ भारतीय फार्मास्युटिकल गठबंधन (IPA): यह भारत में अग्रणी 24 अनुसंधान-आधारित फार्मास्युटिकल कंपनियों का समूह है। इसका उद्देश्य फार्मास्युटिकल उत्पादन और गुणवत्ता आश्वासन में उच्च मानकों को बढ़ावा देना है।
<p>प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत फार्मास्युटिकल्स के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है। ➤ ब्राउनफील्ड परियोजना के अंतर्गत फार्मास्युटिकल्स के लिए 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है। इसमें 74 प्रतिशत तक FDI की अनुमति स्वचालित मार्ग से और शेष FDI की अनुमति सरकारी अनुमोदन मार्ग से है।
<p>निर्यात प्रोत्साहन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) की स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने की है।
<p>नैतिक पद्धति को बढ़ावा देना</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956: यह अधिनियम चिकित्सकों/ मेडिकल प्रैक्टिशनर को अनैतिक कार्य करने से रोकता है। ➤ फार्मास्युटिकल विपणन पद्धतियों के लिए स्वैच्छिक समान संहिता (UCPMP): इसे फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अनैतिक कार्यों/ पद्धतियों को रोकने के लिए लागू किया गया है। ➤ एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति फार्मास्युटिकल विपणन पद्धतियों को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से व्यवहार्य व्यवस्था की आवश्यकता की जांच करेगी। ➤ नैतिक अनुसंधान कार्यों/पद्धतियों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियमों (2023) में संशोधन किया गया है।

बॉक्स 3.2: एक छोटी-सी वार्ता! किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनिवार्य लाइसेंस

विनय, मैंने भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग में "अनिवार्य लाइसेंसिंग" के बारे में सुना है। क्या तुम समझा सकते हो कि यह क्या है?

बिल्कुल, विनी। अनिवार्य लाइसेंसिंग एक कानूनी साधन की तरह होता है। इसका उपयोग सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि देश में आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहें, विशेषकर जब वे अभी भी पेटेंट संरक्षण में हैं।

और यह कैसे काम करता है?

अच्छा, अगर पेटेंट प्राप्त दवा बहुत महंगी है या उसकी कम आपूर्ति है, तो भारत सरकार अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकती है। यह अन्य विनिर्माताओं को पेटेंट धारक की सहमति के बिना भी पेटेंट प्राप्त दवा का उत्पादन करने की अनुमति देता है।

तो, क्या यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि जीवन रक्षक दवाएं लोगों के लिए अधिक सस्ती और सुलभ हों?

बिल्कुल, विनी। एक बार भारत ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवा नेक्सावर के जेनेरिक उत्पादन के लिए नैटको फार्मा कंपनी को 2012 में अनिवार्य लाइसेंस दिया था।

यह काफी सराहनीय है। यह नवाचार और लोक स्वास्थ्य की आवश्यकता को संतुलित करने का एक शक्तिशाली साधन है।

बिल्कुल। यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल और दवाओं तक पहुंच में कैसे योगदान दे रहा है।



विनय



विनी

4. भारत के फार्मा क्षेत्र की संवृद्धि और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभुत्व को स्थापित करने के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां हैं?

भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व स्थापित करने की यात्रा उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरी हुई है। हालांकि, इसे कई जटिल चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

▶ विनियामक संबंधी चुनौतियां:

- ▶ **गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां:** लगातार FDA निरीक्षण और मौजूदा गुणवत्ता उन्नयन की आवश्यकता के कारण विकास और विस्तार करने हेतु पूंजी की उपलब्धता कम हो जाती है। साथ ही, उत्पादों की मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव संबंधी चिंताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पाद की सुरक्षा को लेकर अलर्ट भी जारी हो सकता है, जो भारत की औषध क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में छवि को प्रभावित कर सकता है।
 - » उदाहरण के लिए, **गाम्बिया में भारत के खांसी और सर्दी/ जुकाम के सिरप के साथ-साथ एथिलीन ग्लाइकोल संदूषण की पिछली घटनाओं ने चिंताएं बढ़ा दी हैं।**
- ▶ **उचित विनिर्माण पद्धति (GMP) के अनुपालन में चुनौतियां:** GMP अनुपालन से विनिर्माण लागत में वृद्धि होती है। यह वृद्धि अमेरिका जैसे विनियमित बाजारों की तुलना में लगभग 25% अधिक है।
 - » GMP लगातार उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
- ▶ **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित चुनौतियां:** इन चुनौतियों में बौद्धिक संपदा के संरक्षण का अभाव, पेटेंट प्रदान करने में भारतीय पेटेंट कार्यालय की मंद गति और देश में उत्पादित एवं बेची जा रही पेटेंटेड दवाओं के जेनेरिक संस्करण शामिल हैं।
- ▶ **मैडेटरी रिकॉल कानून को लागू करने में देरी:** भारत 1976 से निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए मैडेटरी रिकॉल कानून बनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कानून बनाया नहीं गया है। इस संबंध में अप्रभावी प्रवर्तन का एक उदाहरण तब देखा गया जब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) कैसरकारी तत्व एन-नाइट्रोसोडिमिथाइलमाइन (NDMA) की मिलावट वाली दवा रैनिटिडिन को रिकॉल करने में विफल रहा था।
 - » रिकॉल कानून दवा कंपनियों को निम्न गुणवत्ता वाली दवा की पूरी खेप को बाजार से हटाना या वापस लेना अनिवार्य करता है।

▶ प्रणालीगत चुनौतियां:

- ▶ **विदेशी कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत बल्क ड्रग्स या सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (API) की आवश्यकताओं (लगभग 70 प्रतिशत) के लिए चीन पर अधिक निर्भर है। अतः आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने पर भारतीय फार्मा क्षेत्र के लिए सुभेद्यता की स्थिति पैदा हो जाती है।
- ▶ **मूल्य निर्धारण संबंधी अस्थिरता और नीतिगत परिवेश:** भारत सरकार की दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था और नीतियों में लगातार बदलाव से फार्मा उद्योग में अनिश्चितता बढ़ती है। इसके चलते उत्पादन का विस्तार करना और नए निवेश करना बाधित होता है।
- ▶ **नकली दवा की समस्या:** बाजार में मौजूद नकली दवाएं रोगी की सेहत और लोक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करती हैं। यह स्थिति निगरानी एवं विनियमन संबंधी प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाती है।

▶ संरचनात्मक चुनौतियां:

- ▶ **अवसंरचना का अभाव:** भंडारण सहित अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं के चलते महामारी के दौरान रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी महत्वपूर्ण दवाओं की समय पर उपलब्धता बाधित हुई थी।
- ▶ **तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** भारतीय फार्मा कंपनियों को चीन, इज़राइल और जापान जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे भारतीय फार्मा कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।

- ▶ **डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन में पिछड़ापन:** भारत के फार्मा उद्योग को गुणवत्तापूर्ण दवाओं के उत्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त है। हालांकि, हम डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन को अपनाने में अभी भी पीछे हैं, जो संभावित रूप से दक्षता एवं गुणवत्ता नियंत्रण को प्रभावित करता है।

▶ नैतिक चुनौतियां:

- ▶ **अनैतिक विपणन रणनीति:** फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने उत्पादों/ ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए अक्सर डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को उपहार प्रदान करके जैसे अनैतिक मार्गों का सहारा लेते हैं।
 - » इससे रोगी द्वारा बेकार और/ या अनावश्यक दवाएं लेने की संभावना बढ़ जाती है।
- ▶ **अविनियमित नवाचार:** बड़ी संख्या में एंटीबायोटिक दवाओं को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के रूप में लिया जाता है। लेकिन भारत में बेची जाने वाली कई एंटीबायोटिक दवाओं की FDCs संबंधी प्रभावशीलता के बारे में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है और इन्हें CDSCO द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
 - » यह एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है।
- ▶ **पारदर्शिता का अभाव:** फार्मा इकोसिस्टम रोगियों को विनिर्माण प्रक्रियाओं और दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में सक्रिय रूप से सूचित नहीं करता है।

5. भारत को विश्व की फार्मसी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन-सी रणनीतियां और कार्रवाई करनी चाहिए?

भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु लचीली एवं संधारणीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए:

▶ गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता पर ध्यान देना:

- ▶ **गुणवत्ता नियंत्रण:** भारत को अपने विनियमों को ICH/ PIC(s) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए। औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक 2022 पारित होना इस दिशा में एक सकारात्मक प्रगति है।
- ▶ **अनुकूल नीतियां:** इसमें विनियमकीय सुधार करने के साथ-साथ दवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना, सक्रिय औषधि सामग्रियों (APIs) में आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्योग-अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहित करके अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देना शामिल है।
- ▶ **औषधि विनियमन में सुधार करना:** औषधि विनियमन पर मालशेखर समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। इस समिति ने राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना करने और राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों को मजबूत करने की सिफारिश की है।
- ▶ **ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) ने सभी दवाओं के लिए बार कोड शुरू करने की सिफारिश की है।** बोर्ड ने कहा कि दवाओं को ट्रेक और ट्रेस करने में मदद के लिए बारकोड या क्यूआर कोड शुरू किए जाएं। इससे नकली दवाओं की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
- ▶ **स्व-विनियमन:** गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कम लागत और प्रभावी उपाय के रूप में फार्मा कंपनियों द्वारा स्व-विनियमन को बढ़ावा देना चाहिए।

▶ फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए तकनीकी प्रगति:

- ▶ **उभरती प्रौद्योगिकियां:** विनिर्माण और पैकेजिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, उत्पादकता में सुधार लाने, लागत कम करने और त्रुटियों को कम करने के लिए क्लाउड-आधारित इंटेलेजेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके लाभ उठाना चाहिए।
 - » पशुओं पर दवाओं की **टेस्टिंग** करने की निर्भरता को कम करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन और टेस्ट ट्यूब अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए।
- ▶ **डिजिटल थेरेप्यूटिक्स:** ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स के माध्यम से साक्ष्य-आधारित चिकित्सीय हस्तक्षेप करने के लिए डिजिटल थेरेप्यूटिक्स को अपनाना चाहिए।

▶ अवसंरचना संबंधी विकास:

- ▶ **उत्पादन को बढ़ाना:** उत्पादन को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल विनिर्माण को सुव्यवस्थित करना और राज्यों में विनिर्माण कर्मियों की आवाजाही के लिए नीतियों को लागू करना चाहिए। इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल विनिर्माताओं के लिए पैकेजिंग सामग्री और सॉल्वेंट्स जैसे सहायक आपूर्तिकर्ताओं का भी समर्थन करना चाहिए।
- ▶ **आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स को मजबूत बनाना:** आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करने के लिए स्थल, वायु, जलमार्ग, समुद्री और बंदरगाह सुविधाओं का एकीकरण करना चाहिए।
- ▶ नकली दवाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए **डिजिटल ट्रैक और ट्रेस सिस्टम** को लागू करना चाहिए।

▶ **अनुसंधान और नवाचार:** दुर्लभ और उपेक्षित रोगों पर अनुसंधान के लिए पर्याप्त माला में संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। इसके अलावा जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी और बायोसिमिलर सहित अगली पीढ़ी के मॉलिक्यूल्स का विकास करना चाहिए।

▶ **नैतिकता संबंधी नीतिगत फ्रेमवर्क:** फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन प्रवृत्तियों की समीक्षा करने और दवा कंपनियों द्वारा उल्लंघन करने पर दंड को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट वैधानिक फ्रेमवर्क तैयार करना आवश्यक है।

▶ यह फ्रेमवर्क **चिकित्सा नैतिकता** के चार सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों-स्वायत्तता, न्याय, उपकार और गैर-नुकसानदेह पर आधारित होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत के फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रक में विश्वसनीयता बढ़ी है और भारत एक वैश्विक 'मेडिकल सुपरपावर' के रूप में उभर रहा है। फार्मा उद्योग की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए नीतिगत स्थिरता, पूर्वानुमान और सुसंगतता सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। इस क्षेत्रक को मालात्मक से मूल्यात्मक रूप से अग्रणी बनाना एक बेहतर और मजबूत विनियामकीय व्यवस्था पर निर्भर करता है जो पहुंच, वहनीयता और नवाचार के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाते हुए रोगी को प्राथमिकता दे।

टॉपिक: एक नज़र में

भारत: विश्व की फार्मसी

भारत के फार्मास्युटिकल (दवा) उद्योग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके चलते देश ने इस स्वास्थ्य संकट के दौरान एक "विश्वसनीय राष्ट्र" के रूप में अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत की थी। भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग अलग-अलग दवाओं और औषधियों के अनुसंधान, विकास, निर्माण एवं वितरण के प्रति समर्पित है।

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र का अवलोकन



भारत वैश्विक स्तर पर वहनीय दवाओं और टीकों की आपूर्ति करने वाला अग्रणी देश है।



संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत वह दूसरा देश है, जहां यू.एस. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US-FDA) अनुमोदित फार्मास्युटिकल संयंत्र हैं।



यह माला की दृष्टि से तीसरा और मूल्य की दृष्टि से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है।



भारत को विश्व की फार्मसी बनने के लिए प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- ⊕ मजबूत जेनेरिक दवा उद्योग और उत्पादन में लागत दक्षता।
- ⊕ वैक्सीन का अग्रणी आपूर्तिकर्ता देश।
- ⊕ प्रचुर माला में प्रतिभा की उपस्थिति।
- ⊕ कठोर विनियामकीय अनुपालन।
- ⊕ व्यापक स्तर पर निर्यात प्रभुत्व: भारत 200 से अधिक देशों में फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्यात करता है।
- ⊕ नवीन दवाओं की खोज और जैव प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- ⊕ सरकार कर प्रोत्साहन, सब्सिडी और अनुसंधान एवं विकास निवेश के रूप में सहायता प्रदान करती है।
- ⊕ विश्व स्तरीय अवसंरचना और विनिर्माण सुविधाएं।
- ⊕ वैश्विक सहयोग ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
- ⊕ वैक्सीन मैत्री पहल और नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत कोविड-19 के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया।



फार्मा उद्योग के विकास में सहायता के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- ⊕ विनियामक फ्रेमवर्क: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, CDSCO, DCGI आदि।
- ⊕ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना: फार्मा विजन 2020, अनुसंधान, विकास एवं नवाचार पर राष्ट्रीय नीति 2023।
- ⊕ गुणवत्ता मानक और अनुपालन निगरानी: राष्ट्रीय उत्तम प्रयोगशाला पद्धति अनुपालन निगरानी प्राधिकरण।
- ⊕ सस्ती दवाएं और मूल्य निर्धारण विनियमन: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति आदि।
- ⊕ उद्योग विकास योजनाएं: फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाने (SPI) की योजना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएं आदि।
- ⊕ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीतियां: ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल्स के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत FDI और ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल्स में 100 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है।
- ⊕ नैतिक व्यवहार संबंधी विनियम: फार्मास्युटिकल विपणन पद्धतियों के लिए स्वैच्छिक समान संहिता।



संवृद्धि और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभुत्व को स्थापित करने के समक्ष चुनौतियां:

- ⊕ विनियामक संबंधी चुनौतियां, जैसे- गुणवत्ता और सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी चुनौतियां आदि।
- ⊕ प्रणालीगत चुनौतियां, जैसे- विदेशी कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भरता, नकली दवाओं की समस्या आदि।
- ⊕ संरचनात्मक चुनौतियां, जैसे- अवसंरचना का अभाव, डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन में पिछड़ापन तथा तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा।
- ⊕ विपणन और नवाचार में नैतिक चिंताएं।



भारत को विश्व की फार्मसी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रमुख रणनीतियां

- ⊕ औषधि विनियमन में वृद्धि करना, अनुकूल नीतियों के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करना।
- ⊕ विनिर्माण और पैकेजिंग को स्वचालित करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों तथा डिजिटल थ्रेप्सूटिक्स को अपनाना।
- ⊕ आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करके अवसंरचना का विकास करना।
- ⊕ दुर्लभ और उपेक्षित रोगों, जिन थेरेपी पर अनुसंधान के साथ-साथ अनुसंधान और नवाचार में निवेश करना।
- ⊕ चिकित्सा नैतिकता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक नैतिक नीतिगत फ्रेमवर्क स्थापित करना।

बॉक्स, टेबल और चित्र

बॉक्स 1.1. स्वतंत्रता के बाद भारत के फार्मा उद्योग का विकास.....	2
बॉक्स 3.1. भविष्य में फार्मास्युटिकल क्षेत्रक के विकास के प्रमुख प्रेरक.....	5
बॉक्स 3.2. एक छोटी-सी वार्ता! किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनिवार्य लाइसेंस	7
चित्र 1.1. भारत में फार्मास्युटिकल इकोसिस्टम	2
चित्र 2.1. भारत के फार्मा उद्योग की स्थिति	3
चित्र 3.1. भारत में फार्मास्युटिकल्स क्लस्टर.....	4
टेबल 3.1. फार्मा उद्योग के विकास में सहायता के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय	5

39 in Top 50 Selection in CSE 2022



ISHITA KISHORE



GARIMA LOHIA



UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

- हिंदी माध्यम टॉपर -



KRITIKA MISHRA



BHARAT
JAI PRAKASH MEENA



DIVYA



GAGAN SINGH
MEENA



ANKIT KUMAR
JAIN

8 in Top 10 Selection in CSE 2021



ANKITA AGARWAL



GAMINI
SINGLA



AISHWARYA
VERMA



UTKARSH
DWIVEDI



YAKSH
CHAUDHARY



SAMYAK S
JAIN



ISHITA
RATHI



PREETAM
KUMAR



HEAD OFFICE

Apsara Arcade, 1/8-B,
1st Floor, Near Gate-6,
Karol Bagh Metro
Station, Delhi

MUKHERJEE NAGAR CENTRE

Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite
Punjab & Sindh Bank,
Mukherjee Nagar, Delhi

FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066



SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES
EXAMINATION 2020

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

